

FORM -B

[See rule 9 (3), (4), & (6)]

Office of The Sub Divisional Officer, Raniwara [District Jalore]

No/Rev./2020/.292

Dated 03-07-2020

CONVERSION ORDER

On the application of उकराजजी ऐज्यूकेशन संस्थान रेवदर जरिये अध्यक्ष छगनाराम पुत्र उकाजी कौम पुरोहित निवासी जेतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue [conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas] Rules, 2007, (amendment) 2012 the particulars of which are given as under :

1.	Name of the applicant khatedar /tenants with father's/husband's name and complete address.	उकराजजी ऐज्यूकेशन संस्थान रेवदर जरिये अध्यक्ष छगनाराम पुत्र उकाजी कौम पुरोहित निवासी जेतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर
2.	Whether the applicant is a member of SC/ST.	No
3.	Details of the land converted:	
(A)	Name of village/ Gram Panchayat/ Tehsil Village along with area of each khasra No (in hectare).	ग्राम आजोदर ग्राम पंचायत आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर
(B)	Khasra No. of the land along with area of each Khasra No. (in hectare)	ग्राम आजोदर के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.34 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 145 रकबा 0.78 हेक्टेयर कुल रकबा 1.12 हेक्टेयर
(C)	Area converted (in hectare/wq., mtr.)	रकबा 0.88 हेक्टेयर अर्थात 8800 वर्गमीटर
(D)	indicating the area of each khasra (Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for revised non-agriculture purpose is enclosed)	ग्राम आजोदर के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.34 हेक्टेयर में से संपरिवर्तन रकबा 0.12 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 145 रकबा 0.78 हेक्टेयर में से संपरिवर्तन रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल संपरिवर्तन रकबा 0.88 अर्थात 8800 वर्गमीटर (राजस्व नक्शा ट्रेस व ब्ल्यू प्रिंट संलग्न)
4.	purpose of conversion.	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	Rate of conversion charges payable.	15.125/-रूपये प्रति वर्गमीटर
6.	Amount of premium deposited with No.and date of challan.	challan No. GRN 36717140 date 08-01-2020 राशि 133100 रुपये।
7.	Amount of penalty deposited, if any, with date & No. of challan	challan No. GRN 40070000 date 23-06-2020 राशि 119645 रुपये।
8.	Amount of interest deposited, if any, with date & No. of challan.	No
9.	Whether the order issued under Rule 13 for regularization	No
10.	Other particulars, if any:	No



उकराजजी ऐज्यूकेशन संस्थान
रेवदर, जिला जालोर
ऑथोराइज्ड
उपखण्ड अधिकारी

11- The above conversion order shall be subject to the following conditions :-

- (i) संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग विहित प्राधिकार से विधि - मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (ii) यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
- (iii) नियम- 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (iv) इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार स्टेट हाइवे सडक के मध्य बिन्दु से 40 मीटर व ग्रामीण रास्ते के मध्य बिन्दु से 12.5 मीटर भूमि छोड़कर निर्माण कार्य करना होगा। तथा ब्ल्यू प्रिंट नक्शा इस आदेश का मुख्य भाग है।
- (v) आवेदक द्वारा निर्धारित फार्म जी0 के अनुसार प्लान का अनुमोदन करवाना होगा व नियम 19 बी0 के बिन्दु संख्या 1 से 8 तक की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- (vi) ऑडिट आक्षेप अथवा गणना सम्बन्धी त्रुटि होने के कारण यदि अतिरिक्त संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया जाता है तो आवेदक राजकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली कार्यवाही की जायेगी।
- (vii) सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य के लिए संपरिवर्तित भूमि का कोई भी हिस्सा किसी अन्य अकृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकारी से वैध अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

क्रमांक/राजस्व/2020/293-298

दिनांक 03.07.2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर
2. तहसीलदार रानीवाड़ा
3. ग्राम पंचायत आजोदर
4. पटवार हल्का आजोदर
5. आवेदक उकराजजी ऐज्युकेशन संस्थान रेवदर जरिये अध्यक्ष छगनाराम पुत्र उकाजी कौम पुरोहित निवासी जेतपुरा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
6. गार्ड पत्रावली



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा